



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



उत्तर प्रदेश	251406
कलकत्ता	
01 JUN 1977	
ए. ए. ए. / उत्तर प्रदेश	
कलकत्ता	
T. R. S. S. S.	

<u>विक्रय विवरण</u>	
प्रतिफल की संख्या—	रु० 2,08,406/-
अवधि मूल्य —	रु० 2,28,176/-
इस विवरण में शामिल योग	रु० 26,900/-

1. भूमि का स्वरूप —	कृषि
2. पुराना —	निरासीर
3. पान —	सीमा
4. राजस्व का विवरण —	भूमि कर तथा सीमा 1242 रुपए

Handwritten signature or text at the bottom center.



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 962743

मूल्य रु. 1000 का एक हजार रुपये का न्यायिक प्रमाण पत्र।
यह प्रमाण पत्र 1/1/74 को जारी किया गया।
मूल्य रु. 1000 का न्यायिक प्रमाण पत्र।
यह प्रमाण पत्र 1/1/74 को जारी किया गया।

- क. न्यायिक प्रमाण पत्र -
- ख. न्यायिक प्रमाण पत्र -
- ग. न्यायिक प्रमाण पत्र -
- घ. न्यायिक प्रमाण पत्र -

न्यायिक प्रमाण पत्र
1/1/74 को जारी किया गया।
यह प्रमाण पत्र 1/1/74 को जारी किया गया।
यह प्रमाण पत्र 1/1/74 को जारी किया गया।

1/1/74

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0.812446

10. पैसों की स्थिति - पूरी
शेष/ कुल राशि - शेष में नहीं है

बीकानेर काउंटी नं० 1242

जमाना नं०-1238
दस्तावेज नं०-1244
पुस्तक नं०-1242
नशिब नं०-1241

बीकानेर काउंटी नं० 1421

जमाना नं०-1440
दस्तावेज नं०-1470
पुस्तक नं०-1477

10/10/20

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D. 262415

जिला

अन्तर 70-1078, 1441, 1442

जमान फस की संख्या- 1

द्वितीय जमा की संख्या- 1

जिल्ला का विवर

जिला का विवर

दामाशर्जिन पूर
सुरक्षणी निवासी-
ग्राम- बरीना, परगना
मिर्जापुर ताहसील न
जिला बलरानक
आयतन- ५०/३०

सोन, पूर सारु निवासी ग्राम
मिर्जापुर भिदारी सोन नौबत,
ताहसील न जिला फतेहपुर।

अयतन- ५०/३०

५०/३०

५०/३०

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

C 607394

उत्तर प्रदेश UTTER PRADESH

TEYLKO.
जोषानर प्रस्ताव के द्वारा
1988 28

यह निम्न लिखे सामंजस्य पत्र मुख्यालय निवासी-
जान-मरीगा, प्रस्ताव निवासीर तहसील 8 जिला जलपक विधि
अने लिखेया जात गय के प्रमाण सोनु दुस राज्य निवासी गान
मिथानपुर मिथारी सोड गीगांव, तहसील 9 जिला फाल्गुपुर विधि
अने सोना कक्ष गय के से गत निष्पत्ति लिया गया।

या दि तिथेय गूनि तारर संख्या 1802 संख्या 0202 से करण
संख्या 1471 संख्या 0499 से, काल संख्या 0120 से का 1/4 भाग
अर्थात लिखेय संख्या 01725 से जिला नाम- बनीना प्रस्ताव


1988/28

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

390218


परिचय व विवरण उत्तरप्रदेश की राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई है। यह एक गैर न्यायिक दस्तावेज़ है जो एक सौ रुपये का मूल्य दर्शाता है। यह दस्तावेज़ केवल एक ही बार ही उपयोग किया जा सकता है।

Handwritten signature

Handwritten signature

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये
रु. 100



Rs. 100
ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

190219

के अनुसार मुद्रांक का दिया गया है एक सिलसिले तद्वि की विवेका
की स्वीकार करने है, जो मुद्रांक का विवेका अन्त में ही
अपराध नहीं होने, जिसके विषय में किन्तु विवेका के अन्त में
अनुसूची के अन्तर्गत किया गया है, जो अन्त में दिया है, एवं
विवेका में विवेकाशुदा पूर्व में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में
दिया गया है। इस अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में
अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में
अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में
अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में

सैल

केंद्रों को हस्तगत कर दिया है। अब केवल विकल्पशुद्ध सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार में करने में सम्पत्ति के रूप में मान्य एवं उपयोग करने। विक्रेता व उसके परिवार उसमें किसी प्रकार की अड़थक मान्य नहीं मान सकते एवं न ही कोई नाम कर सकते और यदि विकल्पशुद्ध सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में सुविधा के कारण या कानूनी अड़थक या कानूनी मुद्दे के कारण केंद्र या उसके परिवार निष्वादाकरण इत्यादि में कब्जे या अधिग्रहण या कब्जे से निकल जाये तो केंद्र उसके परिवार, निष्वादाकरण इत्यादि को यह अफसोस होगा कि वह अपना सम्पत्ति मुकदमा मग हवा व कब्जे विक्रेता की बल, क्षय सम्पत्ति से जरिदें अधिका प्राप्त कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके परिवार हर्षा व खर्चा देने हेतु कार्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी उचित करता है कि उक्त भूमि लक्षणक विकास प्रतिक्रम, लक्षणक तथा आगम अडथक एवं विकास परिषद लक्षणक तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा सरकारी संस्था द्वारा अडेप्रीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि केंद्र विकल्पशुद्ध सम्पत्ति की दायित्व स्वतंत्र रायध्व अधिदेशों में अपने नाम दर्ज कर ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रेता विक्रेता के पूर्व या अनुरोध अडथक किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसके विक्रेता भुगतान व करने करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार

यह कि उपरोक्त सरकारी भूखण्ड ग्राम श्रीनाथ अभयवनीय क्षेत्र के सामान्य भाग के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकारी रेट रु० 12,50,000/- प्रति हेक्टेयर हिस्सा से विक्रीत भूमि 0.1825 हेक्टेयर की कतिमात रु० 228,125/- होती है तथा विक्रय मूल्य भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 228,000/- जनमत स्वयं मंच किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्य की जा रही है। भूमि में कोई वेद इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधिवा नहीं चल रही है व कोई नलकूट, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के क्षयवास में कोई निर्माण नहीं है रेकीत भूमि किसी सिक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुजानपुर रोड से व आकर 800 म म से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाती के सदस्य है। इस विक्रय विलेख को निवन्धन का समस्त व्यव होता हुआ खत किया गया है।

शिक्षा यह विक्रय पत्र विक्रीता ने क्रेता के पत्र में बिना किसी और व शर्त के स्वस्थ विलेख रूप से समस्त गवहान लिख दिया ताकि रोड व डे और भक्त लक्ष्मण महने पर काम आवे।

परिशिष्ट: सुजान विवरण

1. विक्रीत की रु० 200,000/- द्वारा भेक सरया- 6095 ई
दिनांक 10.01.2005 - मंचास नेशनल बैंक इकरागव
लक्ष्मण क्रेता से प्राप्त हुए।

अनुराधा

श्री

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 2,88,496/-
रुपय को मात्र अड़तासी हजार चार सौ त्रियाणशे मात्र) केता से
प्राप्त हुए बिनाकी प्रति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी
अपराधि विक्रेता को केता से लेना रोना नहीं है।

स्थान:-

दिनांक : 10.01.2009

गवाह :- केता की पहचान की

1.  गौरव कुमार
09876543210


विक्रेता


2. विक्रेता की पहचान की

केता

 मोहन कुमार
 शिखा
2000000000

टाइपकर्ता

मसजिदाबतों


(मोहन कुमार)
शिविल कोर्ट नखनक


(विक्रेत कुमार सिंह)
एडवोकेट

नाम व

19/06/04 20/06/04

19/06/04 20/06/04

1. नाम व
 2. पता व
 3. पता व
 4. पता व
 5. पता व
 6. पता व

19/06/04 20/06/04




19/06/04


19/06/04
 20/06/04
 20/06/04

1. नाम व
 2. पता व
 3. पता व
 4. पता व
 5. पता व

19/06/04
 20/06/04
 20/06/04



1. नाम व
 2. पता व
 3. पता व
 4. पता व
 5. पता व
 6. पता व



1. नाम व
 2. पता व
 3. पता व
 4. पता व
 5. पता व
 6. पता व

19/06/04
 20/06/04
 20/06/04

रफ़्तार नज़रें

रजत

२०१५

खण्ड संख्या - १२५७


विक्रम

२०१५

संख्या

१२५७

रिजर्व नक़ल के निम्नलिखित संख्या संग्रहों का विवरण



संख्या

१२५७

१२५७

१२५७

सिद्धांत

संज्ञासूची क्र. २४

२४

वर्ष

१९९९


पृष्ठ संख्या

२४३. अक्षरसंज्ञा

अक्षरसंज्ञा

अक्षरसंज्ञा

२४३



गवर्शा नदरी

नाम: खरुली

अक्षांश - १९° २५'

दिक्का - ११५° ३०'

मंदा - ३५५

विशेष नमूना के निकट स्थित जंगल सम्पत्तियों का विवरण



खरुली

११५

1977

Registration No.

279

Year

2005

Block No.

1


0201

499


02

Archeological Excavation


1977



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-22ए0 के अनुपालन हेतु, पिंजरा प्रिन्ट्स
 कस्तूरकर्ता/मिर्कता का नाम व पता:- रागराजीवन पुत्र सूरजबली निवासी-ग्राम-बरीना,
 बरगना बिजनौर, तहसील व जिला उत्तरप्रदेश
 कार्ये हथ के अंगुलियों के चित्र:-




दाहिने हथ के अंगुलियों के चित्र:-




मिर्कता

पिंजरा के हस्ताक्षर

पिंजरा का नाम व पता:- सोनू पुत्र राजू निवासी-ग्राम-मिर्जापुर भिटारी, मोरह-नीगांव,
 तहसील व जिला फतेहपुर
 कार्ये हथ के अंगुलियों के चित्र:-



दाहिने हथ के अंगुलियों के चित्र:-



सोनू

पिंजरा के हस्ताक्षर

आर दिनांक 10/01/2018 का

खंड नं. 1 पृष्ठ नं. 8841

पृष्ठ नं. 231 से 262 पर कार्य 358

सिद्ध किया गया

एन.के.गालिय

रजि. नं. (0000)

199-12

पं. 00000